न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

पुष्पा शर्मा बेवा उमेश शर्मा
निवासी– किशुनगढ़ तहसील विजावर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदिका

विरूद्ध

बृजवासी पुत्र खिलाडी लाल गोस्वामी
निवासी– किशुनगढ़ तहसील विजावर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तहसील विजावर के समक्ष एक आवेदन पत्र आवेदिका द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह आवासीय हीन है, इसलिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण हेतु भूमि प्रदाय की जाये। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 48/बी–121/2016–17 पंजीबद्ध कर विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियां आमत्रित कर पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 से आवेदिका को ग्राम की आबादी भूखण्ड के संबंध में भू–धारक का प्रमाण प्रदान किया गया।

2– यहकि, नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तहसील विजावर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक वृजवासी गोस्वामी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी विजावर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 90/2016–17 प्रस्तुत की गयी थी। जो स्पष्टतः अवधि वाह्य थी ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र पर जबाव प्रस्तुत कर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया था। किन्त अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जबाव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3717 पुष्पा शर्मा विरूद्ध बृजवासी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-07-2018	आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभीगीय अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । मेरे द्वारा म्यादी अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत अवेदन एवं जबाव की अंर्तवस्तुओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । उभय पक्ष अधिवक्ता के म्याद अधिनियम धारा 05 पर तर्क श्रवण किये गये । अपीलार्थी का आवेदन सद्भाविक एवं विलम्ब का कारण युक्ति-युक्त होने से स्वीकार किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 3.7.18	